मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

खण्ड XVI | अंक 2 | अगस्त 2020

एमसीआईआर

विषयवस्तु

खंड		पृष्ठ
I.	मौद्रिक नीति	1
II.	विनियमन	2
III.	भुगतान और निपटान प्रणाली	3
IV.	वित्तीय बाजार	3
V.	रिज़र्व बैंक के शीर्ष प्रबंधतंत्र के भाषण	4
VI.	डेटा प्रकाशन	4

संपादक से नोट

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा अगस्त महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके एक्सेस किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और जानकारी के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचना को साझा करने, प्रशिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिकृया का mcirrbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. मौद्रिक नीति

2020–21 के लिए द्वितीय मौद्रिक नीति

रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 6 अगस्त 2020 को अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि:

i) चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। नतीजतन, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाएं।

ii) यह सुनिश्चित करते हुए कि आगे भी मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने विकास को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया।

ये निर्णय वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +/–2 प्रतिशत के दायरे में हासिल करने के उद्देश्य से भी है।

नीति की मुख्य बातें:

चलनिधि प्रबंधन और वित्तीय बाजार

i) आवास वित्त कंपनियों को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को पहले से उपलब्ध कराए गए 10,000 करोड़ के अलावा 5,000 करोड़ की अतिरिक्त स्थायी चलनिधि सुविधा (एएसएलएफ़) का प्रावधान;

ii) एनबीएफसी–एमएफआई और 500 करोड़ की संपत्ति के आकार के अन्य छोटे एनबीएफसी को पुनर्वित्त के लिए पॉलिसी रेपो दर पर एक वर्ष की अवधि के लिए नाबार्ड को 5,000 करोड़ के एएसएलएफ का प्रावधान;

iii) बैंकों को अपने दिन के अंत में नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) शेष राशि का प्रबंधन करने के लिए अधिक लचीलापन / विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए एक वैकल्पिक सुविधा का आरंभ।

विनियमन और पर्यवेक्षण

COVID-19 के आर्थिक पतन को कम करने के उद्देश्य से किए गए उपाय:

i) श्री के. वी. कामथ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन, जो COVID-19 के लिए समाधान ढांचे के तहत बनाए प्रत्येक समाधान योजना में आवश्यक वित्तीय मापदंडों पर रिज़र्व बैंक को अनुशंसा प्रदान करेगा;

ii) स्वामित्व में परिवर्तन के बिना पात्र कॉर्पोरेट एक्सपोज़र के संबंध में ऋणदाताओं को सक्षम करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड के तहत एक विंडो का प्रावधान;

iii) महामारी के कारण आर्थिक गिरावट झेल रहे एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए मौजूदा ढांचे के तहत ऋण का पुनर्गठन करने के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं को अनुमति देना, बशर्ते कि उधारकर्ता के खाते को 1 मार्च 2020 तक ऋणदाता के साथ मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया था;

iv) गैर–कृषि उद्देश्यों के लिए सोने के आभूषणों और गहनों के गिरवी रखने पर ऋण के लिए स्वीकार्य मूल्य की तुलना में ऋण अनुपात (एलटीवी) को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करना;

iv) कई बैंकों से क्रेडिट सुविधा प्राप्त करने वाले ग्राहकों के लिए चालू खातों और नकद क्रेडिट / ओवर ड्राफ्ट खातों को खोलने के लिए उचित सुरक्षा उपायों को तैयार करना;

v) ऋण म्युचुअल फंड और ऋण एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में बैंकों द्वारा निवेश पर बाजार जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार की गणना हेतु 9 प्रतिशत के सामान्य बाजार जोखिम प्रभार को जारी रखना।

वित्तीय समावेशन

उभरती हुई राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ दिशानिर्देशों को संरेखित करने और समावेशी विकास पर तीव्र ध्यान केंद्रित करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण दिशानिर्देशों की समीक्षा।

भुगतान और निपटान प्रणाली

i) उपयोगकर्ताओं के हितों की सुरक्षा और उनके दायित्व की रक्षा के लिए अंतर्निहित सुविधाओं के साथ ऑफ-लाइन मोड में छोटे मूल्य के भुगतान के लिए एक पायलट योजना का संचालन किया जाना है;

ii) डिजिटल लेनदेन से उत्पन्न विवादों और शिकायतों के समाधान के लिए चरणबद्ध तरीके से एक ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली प्रारंभ करना;

iii) चेक भुगतानों में ग्राहक सुरक्षा को बढ़ाने और धोखाधड़ी के मामलों को कम करने के लिए ₹ 50,000 और उससे अधिक मूल्य के सभी चेक के लिए 'पॉजिटिव पे' कार्यप्रणाली प्रारंभ करना;

iv) वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब का निर्माण और एक ऐसा वातावरण बनाना जो नवाचार को बढ़ावा प्रदान करेगा। इनोवेशन हब विनियामक रीमेट्स और राष्ट्रीय सीमाओं को फैलाते हुए क्रॉस-थिंकिंग का समर्थन करेगा, बढ़ावा देगा। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

II. विनियमन

COVID-19 के लिए समाधान ढांचा

रिज़र्व बैंक ने 06 अगस्त 2020 को वास्तविक क्षेत्र की गतिविधियों को पुनर्जीवित करने हेतु ''तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा'' के तहत उधारकर्ताओं को एक विंडो प्रदान करने का निर्णय लिया। यह विंडो, इस तरह के एक्सपोज़र को मानक के रूप में वर्गीकृत करते हुए, ऋणदाता को पात्र कॉर्पोरेट जोखिमों के संबंध में स्वामित्व में बदलाव के बिना और व्यक्तिगत ऋण के लिए समाधान योजना लागू करने में सक्षम बनाएगा। उधार देने वाली संस्थाएँ यह सुनिश्चित करेंगी कि यह समाधान विंडो की सुविधा केवल COVID-19 से तनावग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

चालू खाता खोला जाना

रिज़र्व बैंक ने 06 अगस्त 2020 को बैंकों द्वारा चालू खाते खोलने के निर्देशों को निम्नानुसार संशोधित किया:

i) कोई भी बैंक उन ग्राहकों के लिए चालू खाता नहीं खोलेगा, जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली से नकदी ऋण (सीसी)/ओवरड्राफ्ट (ओडी) के रूप में ऋण सुविधा प्राप्त की है और सभी लेनदेन सीसी/ ओडी खाते के जरिए किए जाएंगे;

ii) जहां एक उधारकर्ता के प्रति किसी बैंक का एक्सपोज़र उस उधारकर्ता के प्रति पूरी बैंकिंग प्रणाली के एक्सपोज़र के 10 प्रतिशत से कम हो, वहां सीसी/ओडी खाते में जमाओं की तो पूरी अनुमति होगी, किंतु इस सीसी/ओडी खाते में नामे केवल उधारकर्ता के उस बैंक के सीसी/ओडी खाते में जमा के लिए किया जाएगा, जिसका उधारकर्ता के प्रति एक्स्पोज़र, उस उधारकर्ता के प्रति पूरी बैंकिंग प्रणाली के एक्स्पोज़र का 10 प्रतिशत या इससे अधिक है;

iii) जहां किसी बैंक का उधारकर्ता के प्रति बैंकिंग प्रणाली के कुल एक्सपोज़र में 10 प्रतिशत या अधिक का हिस्सा है, वह पूर्व की तरह सीसी/ओडी सुविधा दे सकता है।

iv) बैंक ऋण की सुपुर्दगी के लिए उधार व्यवस्था पर दिशानिर्देश के अंतर्गत आने वाले उधारकर्ताओं के मामले में, कार्यशील पूंजी सुविधा का उधार घटक और नकदी ऋण घटक में विभाजन प्रत्येक बैंक के स्तर पर बनाए रखना होगा। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

बासल III पूंजी विनियमावली

रिज़र्व बैंक ने 06 अगस्त 2020 को यह निर्णय लिया है कि केंद्र, राज्य और विदेशी केंद्र सरकारों के बॉण्ड, बैंक बॉण्ड और कॉरपोरेट बॉण्ड के साथ ऋण म्यूचुअल फंड/एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निवेश करने वाले बैंक, बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना निम्नानुसार करेंगे:

i) ऋण म्यूचुअल फंड/ईटीएफ में निवेश, जिसके लिए पूर्ण वास्तविक ऋण विवरण उपलब्ध हैं 9 प्रतिशत के रूप में सामान्य बाजार जोखिम प्रभार लागू होगा;

ii) ऋण म्यूचुअल फंड/ईटीएफ के मामले में जिसमें उपरोक्त ऋण लिखतों का मिश्रण होता है, उसमें विशिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार की गणना, निधि में सबसे कम रेट किए ऋण लिखत/ उच्चतम विशिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार वाले लिखत के आधार पर की जाएगी;

iii) ऋण म्युचुअल फंड/ईटीएफ जिसके लिए वास्तविक ऋण विवरण उपलब्ध नहीं है, कम से कम प्रत्येक महीने के अंत के अनुसार, बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना हेतु इक्विटी के साथ बराबर का व्यवहार किया जाना जारी रहेगा। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

एमएसएमई के लिए ऋणों का पुनर्गठन

रिज़र्व बैंक ने 6 अगस्त 2020 को 1 मार्च 2020 तक 'मानक' के रूप में वर्गीकृत एमएसएमई के मौजूदा ऋणों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आस्ति वर्गीकरण में डाउनग्रेड के बिना पुनर्गठित करने की योजना का विस्तार किया:

i) 1 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार उधारकर्ता को बैंक और एनबीएफसी के गैर-निधि आधारित सुविधाओं सहित कुल एक्सपोजर 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

ii) 1 मार्च 2020 को उधारकर्ता का खाता एक 'मानक आस्ति' था;

iii) उधारकर्ता खाते का पुनर्गठन 31 मार्च 2021 तक लागू किया जाता है;

iv) उधार लेने वाली इकाई पुनर्गठन के कार्यान्वयन की तारीख पर जीएसटी-पंजीकृत है;

v) जो खाते 2 मार्च 2020 से कार्यान्वयन की तारीख के बीच एनपीए श्रेणी में परिवर्तित हुए होंगे, उन्हें पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन के उपरांत 'मानक आस्ति' के रूप में अपग्रेड किया जा सकता है;

vi) इन दिशा-निर्देशों के तहत पुनर्गठित खातों के लिए, बैंक उनके द्वारा पहले से रखे गए प्रावधान से अधिक 5% का अतिरिक्त प्रावधान बनाए रखेंगे। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

COVID-19 समाधान ढांचा

रिज़र्व बैंक ने 06 अगस्त 2020 को 'COVID-19 संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे' के तहत बनाए गए समाधान योजना में आवश्यक वित्तीय मापदंडों पर अनुशंसा प्रदान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। श्री के. वी. कामथ की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति इस तरह के वित्तीय मापदंडों के लिए क्षेत्र विशिष्ट बेंचमार्क सीमाओं की अनुशंसा करेगा और ढांचे के तहत कार्यान्वित की जाने वाली समाधान योजनाओं के लिए सत्यापन प्रक्रिया भी करेगा। समिति के अन्य सदस्यों में श्री दिवाकर गुप्ता, श्री टी. एन. मनोहरन, श्री अश्विन पारेख, कार्यनीतिक परामर्शदाता और सीईओ, भारतीय बैंक संघ, सदस्य सचिव के रूप में शामिल हैं। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

सोने के आभूषणों के गिरवी रखने पर ऋण

रिज़र्व बैंक ने 06 अगस्त 2020 को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए सोने के आभूषणों और गहनों के गिरवी रखने पर ऋण के लिए स्वीकार्य मूल्य की तुलना में ऋण अनुपात (एलटीवी) को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया। यह बढ़ाया गया एलटीवी अनुपात 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा ताकि उधारकर्ताओं को COVID- 19 के कारण अपनी अस्थायी तरलता बेमेल से उबरने में सक्षम बनाया जा सके। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

प्रणाली आधारित आस्ति वर्गीकरण

रिज़र्व बैंक ने 12 अगस्त 2020 को शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) में एक प्रणाली (सिस्टम)-आधारित आस्ति वर्गीकरण को कार्यान्वित किया ताकि आस्ति वर्गीकरण प्रक्रिया की दक्षता, पारदर्शिता और अखंडता में सुधार हो सके। इस संबंध में संबंधित निर्देश निम्नानुसार हैं:

i) दिनांक 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार ₹ 2000 करोड़ या उससे अधिक की कुल आस्ति वाले यूसीबी दिनांक 30 जून 2021 से सिस्टम-आधारित आस्ति वर्गीकरण लागू करेंगे।

ii) दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 1000 करोड़ या उससे अधिक लेकिन ₹ 2000 करोड़ से कम की कुल आस्ति वाले और यूसीबी के लिए बृहत साईबर सुरक्षा फ्रेमवर्क के अनुसार स्वयं को लेवल III या लेवल IV मूल्यांकित करनेवाले यूसीबी दिनांक 30 सितंबर 2021 से सिस्टम-आधारित आस्ति वर्गीकरण लागू करेंगे;

iii) वर्तमान वित्त वर्ष अथवा आगामी वित्त वर्षों के अंत में उपर्युक्त मानदंड को पूरा करनेवाले यूसीबी संबंधित वित्त वर्ष की समाप्ति से छह महीने की अवधि के भीतर सिस्टम-आधारित आस्ति वर्गीकरण लागू करेंगे;

iv) प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन के लिए, सभी संबंधित यूसीबी पायलट / समानांतर रन आयोजित करें और सटीकता / सत्यनिष्ठा के परिणामों का मूल्यांकन करें;

v) उपर्युक्त मानदंडों को पूरा न करनेवाले बैंकों को भी उनके हित में से सिस्टम-आधारित आस्ति वर्गीकरण को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

सीआईसी के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा

रिज़र्व बैंक ने 13 अगस्त 2020 को भारत सरकार के कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री तपन रे की अध्यक्षता में गठित मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए नियामक और पर्यवेक्षी ढांचे की समीक्षा करने वाली कार्यदल की अनुशंसा और हितधारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) पर लागू दिशानिर्देशों को संशोधित किया। संशोधित दिशानिर्देशों को पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम के तहत रिटर्न जमा करना

रिज़र्व बैंक ने 26 अगस्त 2020 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 31 के तहत 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष हेतु रिटर्न जमा करने की समयावधि को अगले तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया। तदनुसार, सभी यूसीबी 30 सितंबर 2020 को या उससे पहले रिज़र्व बैंक को रिटर्न जमा करना सुनिश्चित करेंगे। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

ऑफलाइन खुदरा भुगतान

रिज़र्व बैंक ने 06 अगस्त 2020 को एक सीमित अवधि के लिए एक प्रायोगिक योजना संचालित करने की अनुमति दी जिसमें दूरदराज़ या निकटवर्ती भुगतान के लिए अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) बैंकों और गैर-बैंकों - कार्ड, वालेट या मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके ऑफ़लाइन भुगतान समाधान प्रदान करने में सक्षम होंगे। दूरदराज या निकटवर्ती भुगतान के लिए कार्ड, वालेट या मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके अभिनव समाधान रखने वाली अन्य संस्थाएं अधिकृत पीएसओ के साथ गठजोड़ कर सकती हैं। यह प्रायोगिक योजना 31 मार्च 2021 तक चलायी जाएगी। रिज़र्व बैंक इस प्रायोगिक योजना के तहत प्राप्त अनुभव के आधार पर ऐसी प्रणाली को औपचारिक रूप देने का निर्णय लेगा। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली

रिज़र्व बैंक ने 06 अगस्त 2020 को अधिकृत पीएसओ-बैंकों और गैर-बैंकों और उनके प्रतिभागियों को ग्राहकों के विवादों और शिकायतों के निराकरण के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) के लिए प्रणाली/यां तैयार करने हेतु सूचित किया। अधिकृत पीएसओ को 1 जनवरी 2021 तक अपने संबंधित भुगतान प्रणालियों में विफल लेनदेन से संबंधित विवादों और शिकायतों के लिए एक ओडीआर प्रणाली कार्यान्वित करने की आवश्यकता होगी। पीएसओ, भुगतान प्रणाली के प्रतिभागियों को ऐसी प्रणाली का उपयोग करने की अनुमति देंगे। तत्पश्चात भारत में भुगतान प्रणाली स्थापित करने वाली या उसमें भाग लेने वाली कोई भी संस्था, अपने परिचलनों के प्रारंभ में ओडीआर प्रणाली उपलब्ध कराएगा। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

खुदरा भुगतानों के लिए छत्र इकाई

रिज़र्व बैंक ने 18 अगस्त 2020 को अपनी वेबसाइट पर 'खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु रूपरेखा' जारी की है। रिज़र्व बैंक द्वारा प्राप्त टिप्पणियों/प्रतिक्रिया पर विचार-विमर्श के बाद रूपरेखा जारी की गई है। रिज़र्व बैंक छत्र इकाई के लिए आवेदन आमंत्रित करता है, जिसे निर्धारित फॉर्म में 26 फरवरी 2021 को कारोबार की समाप्ति तक प्रस्तुत किया जा सकता है। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एसआरओ

रिज़र्व बैंक ने 18 अगस्त 2020 को अपनी वेबसाइट पर भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के लिए स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) के रूप में एक उद्योग संघ की स्थापना के लिए एक ड्राफ्ट रूपरेखा सार्वजनिक टिप्पणी के लिए रखी। एसआरओ सभी भुगतान प्रणालियों के ऑपरेटरों को शामिल करेगा और उससे सुरक्षा, ग्राहक संरक्षण और प्रतिस्पर्धा पर सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने की उम्मीद की जाएगी। एसआरओ, पीएसओ और रिज़र्व बैंक के बीच दो-तरफा संचार चैनल के रूप में सेवा प्रदान करेगा और भुगतान स्थान में न्यूनतम मापदंडों और मानकों को स्थापित करने की दिशा में कार्य करेगा। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

IV. वित्तीय बाजार

स्वचालित स्वीप-इन / स्वीप-आउट सुविधा

रिज़र्व बैंक ने 06 अगस्त 2020 को अपने ई-कुबेर सिस्टम में वैकल्पिक स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया। बैंक अपने दिन की समाप्ति पर आरबीआई के साथ अपने चालू खाते में शेष राशि (विशिष्ट या कोई सीमा) निर्धारित कर सकेंगे। इस पूर्व निर्धारित राशि के आधार पर, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और रिवर्स रेपो बोलियां, जैसा भी मामला हो, दिन की समाप्ति पर बिना किसी हस्त चालित (मैन्युअल) हस्तक्षेप से स्वचालित रूप से जनरेट किया जाएगा। यह सुविधा वैकल्पिक है और ई-कुबेर पोर्टल के माध्यम से रिवर्स रेपो और एमएसएफ विंडो में मैन्युअल बोलियां रखने के मौजूदा तंत्र के अतिरिक्त है। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

वार्षिक रिपोर्ट- 2019-20

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 अगस्त 2020 को वर्ष 2019-20 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जो रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की एक सांविधिक रिपोर्ट है। रिपोर्ट को यहां क्लिक करने के साथ-साथ क्यूआर कोड को स्कैन करके भी एक्सेस किया जा सकता है।

V. रिज़र्व बैंक के शीर्ष प्रबंधतंत्र के भाषण

बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ अनलॉक 2.0

श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर ने 27 अगस्त 2020 को बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ अनलॉक बीएफएसआई 2.0 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम 'यह समय बैंकों को अपने भीतर गहराई से देखने: COVID के पश्चात बैंकिंग को पुन: प्रस्तुत करने का है', इस विषय पर मुख्य भाषण दिया। अपने प्रारंभिक भाषण में, गवर्नर महोदय ने कहा कि COVID-19 की महामारी ने अभी भी दुनिया को दुविधा में रखा है और 2.3 करोड़ से अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और आठ लाख से अधिक लोगों की जान ले चुकी है। उन्होंने कहा कि महामारी की अवधि और तीव्रता पर अनिश्चितता और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव चिंता का कारण बना हुआ है। रिज़र्व बैंक ने आगे कदम बढ़ाते हुए और अब तक ब्याज दर में कटौती, उच्च संरचनात्मक और टिकाऊ चलनिधि, ऋण सर्विसिंग पर स्थगन, आस्ति वर्गीकरण ठहराव और हाल ही में एक विशेष खिड़की 'दवाबग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा' के रूप में विभिन्न चलनिधि, मौद्रिक, विनियामक और पर्यवेक्षी उपायों की घोषणा की है।

देश में बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य के बारे में बताते हुए, गवर्नर महोदय ने कहा कि जिस तरह महामारी से निपटने के लिए जनसंख्या की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना एक समाधान है, उसी तरह दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता का समाधान करने के लिए मौजूदा महामारी की तरह बहिर्जात झटकों का सामना करने के लिए बैंकों की अंतर्निहित क्षमता में ठोस सुधार को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि लचीले बैंकों का मूल सुशासन, प्रभावी जोखिम प्रबंधन और मजबूत आंतरिक नियंत्रण से बना है। उन्होंने यह कहा कि बैंकों के कारोबार परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आया है और बैंकों को सूचित किया गया है कि वे उभरते हुए क्षेत्रों को देखें और साथ ही उन क्षेत्रों का समर्थन करें जिनमें पुन: उसी स्थिति में आने की क्षमता हो। गवर्नर महोदय ने कई अन्य बातों के साथ, विभिन्न मुद्दों जैसे सुधारों की पुनर्संरचना की आवश्यकता, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समेकन, नई तकनीक और बैंकों के स्वास्थ्य में सुधार के तरीके पर भी बात की। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

VI. डेटा प्रकाशन

अगस्त 2020 के महीने के लिए रिज़र्व बैंक ने महत्वपूर्ण डेटा प्रकाशित किए :

	शीर्ष
1	अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
2	बैंक ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन
3	निजी कॉर्पोरेट कारोबार क्षेत्र का कार्यनिष्पादन
4	सेवाओं में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर डेटा

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू https://mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।